न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ, जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश कुमार राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—32 / 2020

जी.सी.एम.एस नं.—2020 / 00099

1. खुमानचन्द पुत्र लक्ष्मणराम जाति मेघवाल आयू 67 वर्ष निवासी चक—9 के डब्लयू एम रोजड़ी तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ (राज.)

--- प्रार्थी

बनाम्

1. लक्ष्मणराम पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल उम्र—90 वर्ष निवासी पतरोड़ा तहसील व जिला अनूपगढ़ (राज.)

---मृतक

1/2 देसराज पुत्र चन्द्रभान पुत्र स्व. लक्ष्मणराम

1/2 महेन्द्र पुत्र चन्द्रभान पुत्र स्व. लक्ष्मणराम

1/3 रोशनी पन्ती चन्द्रभान पुत्र स्व. लक्ष्मणराम
अकवाम मेघवाल निवासीगण पतरोड़ा तहसील अनूपगढ़

1/4 सुमन पुत्री चन्द्रभान लक्ष्मणराम जाति मेघवाल निवासी गणेशगढ़ तहसील व जिला श्री गंगानगर

1/5 चेतराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति मेघवाल निवासी पतरोड़ा तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़

1/6 विमला पत्नी ओमप्रकाश पुत्र स्व. लक्ष्मणराम

1/7 प्रमोद पुत्री ओमप्रकाश पत्नी अक्ष्य जाति मेघवाल निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर

1/8 प्रियका पुत्री ओप्रकाश पत्नी बृजलाल जाति मेघवाल निवासी [illegible] वाई डी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर

1/9 पवन कुमार पुत्र ओमप्रकाश पुत्र स्व. लक्ष्मणराम

1/10 संजय पुत्र ओमप्रकाश पुत्र स्व. लक्ष्मणराम

1/11 सुमन पुत्री ओमप्रकाश पत्नी रविन्द्र कुमार जाति मेघवाल निवासी महाराज तहसील व जिला श्री गंगानगर

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.12.20 12:03:26 IST
Reason: SelfAttested

2. उप पंजीयक अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ (राज.)

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

----अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील–

1. श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट – प्रार्थी की ओर से
2. श्री बलदेव सिंह भगू एडवोकेट – अप्रार्थीगण की ओर से

दिनांकः–06.12.2024

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील अनूपगढ के चक–2 एच तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–140/30 का किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 25 बीधा यानि 6.325 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी की चित्र प्रतिलिपी संलग्न प्रार्थना–पत्र है। उक्त कृषि भूमि को आयदा वाद पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जाएगा। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 संयुक्तहिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करता है कि अप्रार्थी सं.–1 इस संयुक्तपरिवार का मुखियाकर्ता है तथा विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 को परिवार की आजिवीका अर्जित करने हेतू पुख्ता से आवंटित हुई थी अप्रार्थी सं.–1 द्वारा कृषि भूमि आवंटन का जो आवेदन पत्र सक्षम आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके द्वारा अपने समस्त परिवार के सदस्यो का ब्यौरा दिया गया जिसमें प्रार्थी का नाम अंकित है इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि संयुक्तपरिवार की अविभाजित सम्पति है जिसमें प्रार्थी का हित निहित है। प्रार्थी जो कि अप्रार्थी सं.–1 का पुत्र है तथा अप्रार्थी सं.–1 के चार पुत्र जिसमें प्रार्थी खुमानचन्द, औमप्रकाश, चन्द्रभान व चेतराम थे जिसमें औमप्रकाश व चन्द्रभान फौत हो चुका है विवादित भूमि जो कि संयुक्तपरिवार की सम्पति है जिसमें प्रार्थी का हित निहित है, जो आवंटन के रोज से ही प्रार्थी के अप्रार्थी सं.–1 के साथ संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि की आमदन से प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 व परिवार के अन्य सदस्य अपना जीवन यापन करते आ रहे है। अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अरसा करीब 15 वर्ष पूर्व परिवारिक व्यवस्था बनाये रखने के उदेश्य से विवादित कृषि भूमि को पाचं हिस्सो में विभक्त करके हुऐ अपने व अपने चारो पुत्रो में मौखिक पारिवारिक बटवारा में बांट दी थी तथा उक्त बंटवारा में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.12.20 12:03:26 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़ सत्यमेव जयते

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

1/5 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं.–1 ने अपने पास रख कर शेष भूमि अपने चारो पुत्रो में 1/4 हिस्सा के रूप में बांट थी जिसमें प्रार्थी को 1/5 हिस्सा यानि उक्त विवादित कृषि भूमि मे से किला नम्बर 21 ता 25 की 5 बीधा कृषि भुमि परिवारिक मौखिक समझौता के तहत प्रार्थी को बांटकर दे दी जो तब से ही प्रार्थी के अधिकार एवं अधिपत्य मे चली आ रही है तथा प्रार्थी अपने हिस्सा में आई उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.–1 को कई बार कहा कि वह प्रार्थी के नाम से विवादित कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा यानि प्रार्थना–पत्र की मद सं.–4 के अनुसार भुमि परिवारिक मौखिक समझौता के तहत प्रार्थी को बांटकर दी गई है। इसलिए उक्त परिवारिक समझौता की पालना में उनके नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें ताकि अपने–अपने हिस्सा में काश्त आदि को लेकर किसी प्रकार का कोई तनाव तकाजा ना रहे और अपने–अपने हिस्सा को समुचित रूप से काश्त एवं सिंचित कर सके तो अप्रार्थीगण सं.–1 शीघ्र ही ऐसा करवाने का आश्रवासन देकर टालमटोल करता रहा। अप्रार्थीगण सं.–1 जो कि अत्यन्त वृद्धावस्था में है जो कि परिवार के अन्य लोगो के अत्याधिक प्रभाव व दबाब मे है तथा जो अप्रार्थी सं.–1 की वृद्धावस्था का वेजा फायदा उठाकर व प्रार्थी को उसके हक अधिकारो से वचिंत करने के दुर्भावनापूर्वक आश्य से विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करवाने पर उतारू है इसी उदेश्य से ही अप्रार्थीगण सं.–1 से उसकी वृद्धावस्था का वेजा फायदा उठाकर व उसे मुगालता में रखकर उक्त कृषि भूमि में से किला नम्बर 6 ता 13 की कुल 2.024 हैक्टर भूमि का दान पत्र दिनांक 24.6.2020 को विकास कुमार सुमित कुमार पुत्रगण चेतराम अकवाम मेघवाल सकनाऐ पतरोडा तहसील अनूपगढ़ के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा लिया जो तथाकथित पत्र दिनांक–24.6.2020 आरम्भ से शून्य व निष्प्रभावी दस्तावेज है जिसे शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने के लिऐ प्रार्थी की और से अलग से सक्षम न्यायालय में चाराजोई की जावेगी और अब प्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि परिवार के वे ही लोग अब अप्रार्थीगण सं.–1 से उसकी शेष कृषि भूमि को भी खुर्द बुर्द करवाने अथवा अपने नाम से करवाने पर उतारू है ओर उक्त कृषि भूमि को अन्यत्रं हस्तान्तरित, रहन बैचान करवाने के प्रयासरत है जिसके लिऐ उन्होने कुछ दलाल किस्म के व्यक्तियो से [illegible] भी कर [illegible] जमीन अन्य व्यक्तियों को दिखाते फिर रहे है जिसका पता चलने पर प्रा[illegible] अ[illegible]दिन पूर्व अप्रार्थी सं.–1 को उक्त परिवारिक मौखिक समझौता की पालना में [illegible] के नाम 1/5 हिस्सा कृषि भूमि प्रार्थना–पत्र के अनुसार [illegible] रिकार्ड [illegible]वाने का कहा तो अप्रार्थी सं.–1 ऐसा करने से साफ इंकार हो गया और अप्रार्थीगण सं.–1 परिवार के अन्य लोगों के उकसावे में आकर कहने लगा की वह विवादित कृषि भूमि में से प्रार्थी को कोई हिस्सा नहीं देगा और ना ही वह किसी परिवारिक समझौता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.12.20 12:03:26 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
जिला अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मानता है बल्कि वह प्रार्थी को उसके हिस्सा के किलाजात की भूमि से बेदखल करवा देगा और अपनी शेष रही भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र रहन, बेचान कर देगा। अप्रार्थीगण सं.–1 विवादित भूमि में प्रार्थी को उसके हक अधिकारों से वंचित करने के प्रयासरत है जिस सम्बंध में अप्रार्थीगण सं.–1 ने अर्सा 3 दिन पूर्व यह स्पष्ट धमकी भी दी है कि वह प्रार्थी को कोई हिस्सा नही देगा और ना ही किसी परिवारिक समझौता को मानता है बल्कि वह प्रार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करवा देगा और समस्त भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र रहन, बेचान कर देगा। जबकि उक्त विवादित भूमि ही अब एक मात्र संयुक्तपरिवार की आजिवीका निवार्ह का साधन बची है अगर अप्रार्थीगण सं.–1 प्रार्थी को उनके हिस्सा अधिकार, हक से महरूम करने के आश्य से शेष भूमि को भी येन केन प्रकरेण बैचान कर कर देता है और विवादित भूमि का रहन, बेचान अन्यत्र करने में अप्रार्थीगण सं.–1 कामयाब हो गया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पुर्ति मुद्रा की एवं मे नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थी अपने अधिकार एवं अधिपत्य को बनाये रखने के लिऐ अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण सं.–1 विवादित कृषि भूमि चक–2 एच तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–140/30 का किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 25 बीधा यानि 6.325 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड में बिना प्रार्थी के अधिकारो की घोषणा करवाये किसी भी तरीके से अन्यंत्र हस्तान्तरित, रहन, बैय, दान करने से निषिद्ध रहे तथा इस कृषि भूमि के किला नम्बर 21 ता 25 की 5 बीधा कृषि भुमि पर प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से व्यादेशित रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर स्थगन आदेश जारी किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं.–1 ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 212 आर.टी. एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। [illegible] कामयाब होने की कतई आशा नहीं है फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना–प[illegible] [illegible]षण [illegible] नहीं होने के कारण काबिल निरस्ती के है। प्रार्थना–पत्र [illegible] वर्णित कृषि भूमि [illegible]न रिकॉर्ड का तथ्य है स्वीकार है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि उक्त कृषि भूमि लक्ष्मणराम के नाम खातेदारी दर्ज है तथा लक्ष्मणराम के जीवनकाल में प्रार्थी किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नहीं रखता था प्रार्थी ने लक्ष्मणराम के जीवनकाल में उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.12.20 12:03:26 IST
Reason: SelfAttested.

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
जिला अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

लक्ष्मणराम की मृत्यू दौराने प्रार्थना–पत्र हो चुकी है। प्रार्थना–पत्र में लक्ष्मणराम प्रार्थी का पिता था स्वीकार है लेकिन प्रार्थी का लक्ष्मणराम व हम अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त हिन्दू अविभाजित खानदान नहीं है बल्कि प्रार्थी शादीशुदा है तथा प्रश्नगत भूमि लक्ष्मणराम की आवंटनशुदा है स्वीकार है लेकिन उक्त आवंटन लक्ष्मणराम द्वारा अपनी खुनपसीने से अर्जित कमाई की आमदन से करवाया गया है जिसमें प्रार्थी का कोई सहयोग नहीं रहा। इस प्रकार उक्त प्रश्नगत भूमि संयुक्तपरिवार की अविभाजित सम्पति नहीं है और ना ही प्रार्थी का इसमें कोई हित निहित है अतः वर्णित मद निराधार है। प्रार्थी लक्ष्मणराम का पुत्र होना लक्ष्मणराम के चार पुत्र खुमानचन्द, औमप्रकाश चन्द्रभान व चेतराम होना तथा इन चारो पुत्रो मे से औमप्रकाश व चन्द्रभान फौत होना स्वीकार है। लेकिन शेष मद जिस तरह से दर्ज है स्वीकार नहीं है लक्ष्मणराम के नाम की दर्ज प्रश्नागत भूमि प्रार्थी के संयुक्तपरिवार की सम्पति किसी प्रकार से नहीं है और ना ही आवंटन के रोज से प्रार्थी के लक्ष्मणराम के साथ संयुक्तअधिकार व अधिपत्य में कभी रही और ना ही उक्त प्रश्नगत भूमि की आदमन से प्रार्थी अपना व अपने परिवार का जीवन निवार्ह करता है बल्कि प्रश्नगत भूमि लक्ष्मणराम की स्वयंअर्जित व खातेदारी कृषि भूमि थी जो किसी भी तरह से प्रार्थी की परिवारिक सम्पति नहीं है बल्कि लक्ष्मणराम द्वारा अपने खुन पसीने से अर्जित धन राशी अपने नाम से आवंटन करवाई गई थी तथा लक्ष्मणराम की स्वयं अर्जित व खातेदारी कृषि भूमि थी तथा आवंटन के रोज से ही लक्ष्मणराम के ही निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही थी तथा लक्ष्मणराम को उक्त प्रश्नगत भूमि में हर प्रकार के हक अधिकार प्राप्त थे तथा लक्ष्मणराम ने अपने नाम की कुल खातेदारी कृषि भूमि वाके चक–2 एच तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–140/30 का किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड में से किला नम्बर 21, 22 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, 23 का 0.127 हैक्टर कुल 0.663 हैक्टर कमाण्ड देशराज–महेन्द्र कुमार पि. चन्द्रभान को व किला नम्बर 23 का 0.126 हैक्टर व 24. 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.662 हैक्टर कमाण्ड द्वारा पवन कुमार–संजय कुमार पुत्रगण औमप्रकाश को दान में देकर इनके पक्ष में अलग अलग दो दान पत्र दिनांक–07.07.2020 को निष्पादित कर दिनांक–08.0[illegible] को उप पंजीयक अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत कर उसे मूल समझकर व [illegible] होना [illegible]कर पंजीकृत कर दिये थे व कब्जा का अन्तरण कर दिया उक्त दान में दी [illegible] कृषि भूमि दान पत्र से पूर्व अप्रार्थी सं.–1 के कब्जा काश्त [illegible] दान पत्रो के रोज से देशराज महेन्द्र कुमार पि. चन्द्रभान व पवन कुमार–संजय कुमार पुत्रगण औमप्रकाश के अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है। प्रार्थी का उक्त प्रश्नागत भूमि पर कभी कब्जा नही रहा और ना ही प्रार्थी का उक्त प्रश्नगत भूमि में कोई हित निहित

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.12.20 12:03:26 IST
Reason: SelfAttested

है ना ही लक्षमणराम द्वारा कोई पारिवारिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए कथित मौखिक पारिवारिक समझौता के तहत प्रश्नागत भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थी को दी गई। अतः उक्त वर्णित मद निराधार है। प्रार्थना–पत्र बवजह गलत बयानी होने से अस्वीकार है प्रार्थी ने इस मद की रचना महज प्रार्थना–पत्र को तरजीह देने की गर्ज से झुठी एवं मिथ्या अकिंत की गई है लक्षमणराम द्वारा अपने नाम की खातेदारी कृषि भूमि का कोई भू भाग प्रार्थी को किसी कथित पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत बांट कर नहीं दी गई और ना ही लक्षमणराम ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी को किसी प्रकार का कभी कोई आश्वासन ही दिया। अतः वर्णित मद निराधार है। कि प्रार्थना–पत्र बवजह गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है लक्षमणराम स्वस्थचित है तथा परिवार के किसी भी सदस्य के किसी प्रभाव में नहीं है और ना ही लक्षमणराम से उसकी वृद्धावस्था का वेजा फायदा उठाकर दान पत्र करवाये गये है प्रार्थी ने इस मद की रचना महज वाद कारण बनाने के उदेश्य से झुठी एवं मिथ्या अकिंत की है प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी ने प्रश्नागत भूमि पर अपने हक अधिकारो के सम्बधं में झूठे एवं मिथ्या कथन अकिंत किये है प्रार्थी को किसी प्रकार की अपुर्णिय क्षति नहीं है क्योकिं मौका पर प्रश्नगत भूमि के किसी भू भाग पर प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा बल्कि कब्जा लक्षमणराम व दान पत्रो में वर्णित अनुसार भूमि पर देशराज–महेन्द्र कुमार पुत्रगण चन्द्रभान एवं पवन कुमार–संजय कुमार पुत्रगण औमप्रकाश का है ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र बवजह गलत बयानी होने से अस्वीकार है प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन किसी भी प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है इस बिनाय पर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है। प्रार्थना–पत्र में दर्ज प्रश्नगत भूमि संयुक्तपरिवार की अविभाजित सम्पति नहीं है और ना ही प्रार्थी का इसमें कोई हित निहित है बल्कि कृषि भूमि लक्षमणराम के नाम खातेदारी दर्ज है तथा लक्षमणराम के जीवनकाल में प्रार्थी किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नहीं रखता था चूकिं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र लक्षमणराम के जीवनकाल में प्रस्तुत किया गया था लक्षगणराम की दौराने प्रार्थना पत्र मृत्यू हुई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र [illegible] कारण काबिल निरस्ती के है। यह कृषि भूमि लक्षमणराम की खातेदारी एवं [illegible] कृषि भूमि है लक्षमणराम द्वारा अपनी शेष बची कृषि भूमि [illegible] से किला नम्बर 21 [illegible] प्रत्येक 0.253 हैक्टर, 23 का 0.127 हैक्टर कुल 0.663 हैक्टर [illegible] कुमार पि. चन्द्रभान को व किला नम्बर 23 का 0.126 हैक्टर व 24, 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.662 हैक्टर कमाण्ड पवन कुमार–संजय कुमार पुत्रगण औमप्रकाश को दान में देकर इनके पक्ष में अलग अलग दो दान पत्र दिनांक–07.07.2020 को निष्पादित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.12.20 12:03:26 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़ सत्यमेव जयते

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

दिनांक—08.07.2020 को उप पंजीयक अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत कर उसे सुन समझकर व सही होना मानकर पंजीकृत करवा कर दिये थे व उसी अनुरूप कब्जा का अन्तरण कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। यह प्रकरण में वर्णित कृषि भूमि दानदेहिदा स्व. लक्ष्मणराम की स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि होने के कारण स्व. लक्ष्मणराम को दान पत्र निष्पादित कर पंजीकृत करवाने के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे इसलिऐ उक्त पंजीकृत दस्तावेजात दान पत्र को निरस्त करवाये बिना प्रार्थना—पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नही है फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। प्रार्थी स्व. लक्ष्मणराम के संयुक्तपरिवार का सदस्य नहीं है जो शुरू से ही स्व. लक्ष्मणराम से अलग अपने कटुम्ब में निवास करता था और अलग कटुम्ब होने के नाते प्रार्थी को बालिग पुत्रो में सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा अपने आवंटन आदेश दिनांक—14.10.1980 के द्वारा चक—9 के डब्लयू एम तहसील घडसाना का मुरब्बा नम्बर 134/45 की 24 बीधा कमाण्ड कृषि भूमि आवंटित की गई थी आवंटन पत्रावली व आदेश दिनांक—14.10.1980 की प्रतियां सलग्नं जबाब प्रार्थना पत्र है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी स्व. लक्ष्मणराम के संयुक्तपरिवार का सदस्य नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रश्नगत भूमि संयुक्तपरिवार की अविभाजित सम्पति नहीं है और ना ही प्रार्थी का इसमें कोई हित निहित है यह कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण भी प्राप्त नही है इसलिए भी कानूनन वाद प्रार्थी मौजुदा स्टेज पर काबिल अतः जवाब प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना—पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.12.20 12:03:26 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते जिला अनूपगढ़

प्रथम दृष्टया प्रकरण :—यह कि प्रार्थी ने अपने [illegible] किया है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। जिसमे प्रार्थी [illegible] है। वादग्रस्त कुल सम्पति 6.325 हैक्टर में प्रार्थी [illegible] 6.325 [illegible] भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है कि वे अपनी भूमि विक्रय या हस्तान्तरित नहीं करे। सह—खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

और ना ही सह–खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। सह–खातेदार बिना विभाजन करवाये अपनी सम्पति को विक्रय करने अथवा काश्त करने के हकदार है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने या अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि विक्रय/हस्तान्तरित व काश्त करने से निर्बन्धित करवाने के अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलन :–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थीगण अपने बीमारी के इलाज व अन्य जरूरतो से वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थीगण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षति :–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनो बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण जो कि सह–खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक–**06.12.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.12.20 12:03:26 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
जिला अनूपगढ़

सुरेश कुमार राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़